



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2019/आश्विन 26, 1941

No. 330]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2019/ASVINA 26, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2019

सं. 39/2015-2020

**विषय:** राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) को भेजे गए मामलों के संबंध में प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 में नए प्रावधान को शामिल करना।

**फा.सं. 01/94/180/019/एएम-20/पीसी-4.**—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के अध्याय 2 में नया पैरा सं. 2.29क को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

**2.29क** एनसीएलटी कार्यवाहियों के तहत आने वाली कोई भी फर्म/कंपनी राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष कार्यवाही शुरू होने की तिथि तक बचायी गयी शुल्क की राशि और लागू ब्याज, विदेश व्यापार विकास एवं विनियम अधिनियम के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना; शुल्क आदि जैसे कोई भी अन्य देय राशि, को दर्शाते हुए विदेश व्यापार नीति के स्कीमों के तहत बकाया निर्यात दायित्वों/देयताओं के विवरण का सारांश तैयार करेगी और सांविधिक फाइलिंग के भाग के रूप में एनसीएलटी की कार्यवाही शुरू होने से पहले इसे संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी और एनसीएलटी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सनदी अभियंता/सनदी लेखाकार द्वारा अभिप्रमाणित निविष्टियों की खपत/पूजीगत माल की खरीद का विवरण भी बचायी गयी शुल्क की राशि को पूरा करने हेतु दावा किए गए किसी भी निर्यात दायित्व की आंशिक रूप से पूर्ति के अन्य दस्तावेजी विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

**3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण को भेजे गए मामलों के संबंध में पालन किए जाने वाले प्रचालन संबंधी तौर-तरीकों के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय 2 में नया पैरा जोड़ा गया है।

बिद्युत बिहारी स्वैन, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 18th October, 2019

**No. 39/2015-2020**

**Subject:** Incorporation of new provision in the Handbook of Procedure 2015-20 about cases referred to National Company Law Tribunal (NCLT).

**F. No. 01/94/180/019/AM20/PC-4.**—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendment in Hand Book of Procedures 2015-2020.

A new Para No. 2.29A is added in Chapter 2 of Handbook of Procedure 2015-20 as under:

**2.29 A** Any firm / company coming under the NCLT proceedings shall make a summary of statement of outstanding export obligations/liabilities under the FTP schemes, indicating duty saved amounts and applicable interest till the date of start of proceedings before the National Company Law Tribunal (NCLT), any penalty imposed under FTD&R Act, any other dues such as fee etc., and submit the same to the RA concerned and to NCLT, before the start of NCLT proceedings as part of the statutory filings. The statement of consumption of inputs/procurement of capital goods, attested by chartered engineer/chartered accountant, shall also be submitted along with other documentary details of any partial fulfillment of Export Obligation claimed towards offsetting the duty saved amount.

**3. Effect of this Public Notice:** A new para has been added in Chapter 2 of Foreign Trade Policy 2015-20 for operational modalities to be followed for the cases referred to National Company Law Tribunal.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.